न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान लक्ष्मी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 339../2025
निर्णय दिनांक 21-08-2025

लक्ष्मी पत्नी रामकुमार जाति अहीर (यादव) निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 385 खसरा सं. 1272/835 तादादी 1.0116 हैक्ट. में लिछमीदेवी पत्नि रामकुमार है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में नाम लक्ष्मी पत्नि रामकुमार है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिछमीदेवी के स्थान पर लक्ष्मी अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक राजस्व/2025/1016 दिनांक 08.07.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेज एवं पूछताछ में प्रार्थी लिछमीदेवी पत्नि रामकुमार व लक्ष्मी पत्नी रामकुमार एक ही व्यक्ति है। अतः लिछमीदेवी पत्नी रामकुमार के बजाय लक्ष्मी उर्फ लिछमी देवी पत्नी रामकुमार किया जाना उचित है।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम लिछमीदेवी पत्नि रामकुमार व लक्ष्मी पत्नी रामकुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मी पत्नी रामकुमार पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिछमीदेवी पत्नि रामकुमार अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 385 खसरा सं. 1272/835 तादादी 1.0116 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम लिछमीदेवी पत्नि रामकुमार **Delete** कर इसके स्थान पर लक्ष्मी पत्नी रामकुमार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-08-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)